

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.- 03/2016, राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के व्याख्याता के नवसृजित कुल 26 (छब्बीस) पदों पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्त हेतु सुधार्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. वेतनमान :— मूल कोटि 9300-34800, ग्रेड पे-4800 (04 वर्षों के बाद 5400/-)
3. पदों का विषयवार विवरण :—

क्र. सं.	विषय	कुल रिक्त पद	आरक्षण					
			अनारक्षित (01)	अनु. जाति (02)	अनु. जनजाति (03)	अ.पि.व. (04)	पि.व. (05)	पि.व. की महिला (06)
1.	शारीरिक शिक्षा	26	13	04	—	05	03	01
	कुल योग	26	13	04	00	05	03	01

नोट :— निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थीयों को आरक्षण देय होगा।

4. शैक्षणिक योग्यता एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के विषय :—

क्र.सं.	विषय	अर्हता	वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अकादमिक अंक एवं साक्षात्कार अंक/ परीक्षा अवधि
1.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (M.P.Ed.) न्यूनतम 55% अंक के साथ	(क) वस्तुनिष्ठ परीक्षा का विषय — 60 अंक शारीरिक शिक्षा — 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परीक्षा की अवधि— 01:30 घंटा  (ख) अकादमिक अंक— स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 20 अंक। अंक के निर्धारण हेतु स्नातकोत्तर प्रतिशत प्रातांक को 10 से भाग देकर प्राप्त भाग फल को 2 से गुणा कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. की उपाधि रहने पर 05 अंक दिये जायेंगे। कुल अधिकतम अंक— 25 (20+05)  (ग) साक्षात्कार— 15 अंक जिसमें विषयवस्तु के ज्ञान, शोध, शिक्षण, प्रकाशन, खेल कूद के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियाँ, पुरस्कार आदि का संज्ञान लिया जाएगा। कुल अंक— 100 (60+25+15)

5. चयन का आधार :— (क) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु रिक्ति के 2.5 (द्वाई) गुणा उम्मीदवारों को आरक्षण कोटिवार आमंत्रित किया जाएगा। तत्पश्यात् वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंक, अकादमिक अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर अंतिम परीक्षाफल तैयार किया जाएगा।

6. उम्र सीमा — (A) दिनांक 01.08.2014 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को कुल 04 वर्ष की छूट, निम्नांकित विवरणी के अनुसार अनुमान्य होगी—

(क) अनारक्षित वर्ग—  $37 + 04 = 41$  वर्ष

(ख) पिछड़ी वर्ग/अत्यन्त पिछड़ी वर्ग—  $40 + 04 = 44$  वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी वर्ग) —  $40 + 04 = 44$  वर्ष

(घ) अनुसूचित अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) —  $42 + 04 = 46$  वर्ष।

(B)(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक— 16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की संकल्प ज्ञापांक — 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-2447 दिनांक 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

### 7. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को भिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—

(A) (a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमेसिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र

(c) स्थायी निवास (डोमेसिसाइल) प्रमाण-पत्र

पिछड़ी वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ी वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(C) निःशक्तता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निःशक्तता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

### 8. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 150/- (एक सौ पचास) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 200/- (दो सौ) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि एवं अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 600/- (छ: सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 650/- (छ: सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन विशेष के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट <http://bpsc.bih.nic.in> से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

### 9. अन्य:

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

#### **10. अन्तिम तिथि:**

- (i) पूर्णरूपेण मरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार मेंजे कि वह सोमवार, 06 जून, 2016 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अप्पर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कर्तव्य जिम्मेवार नहीं होगा।

#### आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

##### **1. प्रविष्टि:**

- (i) आवेदन इस विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpscbih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। इस विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुक्ति, टक्कित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले / काले इंक के बॉल प्लाइट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों को सम्पुष्ट तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे—
 

सि	न	र	धा	
----	---	---	----	--

  - (i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्तिंश्चा, इस प्रकार भरा जाय —
  - (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा — ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे 

A	N	I	L	K	U	M	A	R	R	A	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


 :—
  - (iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 मरे एवं नहीं हैं तो 2 मरे।
  - (iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 मरे। उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
  - (v) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।
  - (vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।
  - (vii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो; तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (x) कर दें।

##### **2. फोटोग्राफः**

- आवेदन-पत्र के पृ. 1 एवं 3 पर फोटो विषयकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न सारें। गोंद से अच्छी तरह विषकाएँ। दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्राप्ति किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

##### **3. लिफाफा एवं प्रमाण पत्रः**

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वाभिप्राप्ति प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें:—
  - (i) मैट्रिक का प्रमाण—पत्र (जन्म तिथि के लिए);
  - (ii) इंटर का प्रमाण—पत्र;
  - (iii) स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र;
  - (iv) बी.पी.एड. उर्तीणता अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र;
  - (v) एम.पी.एड. उर्तीणता अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र;
  - (vi) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में पी.एच.डी. प्रमाण—पत्र;
  - (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण—पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण—पत्र;
  - (viii) निःशक्त उम्मीदवारों के लिए विकित्ता पर्षद द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण—पत्र;
  - (ix) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति;
  - (x) प्रमाण—पत्रों के कॉलम में अंकित प्रत्येक प्रमाण—पत्रों के सामने प्रमाण—पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे;
  - (xi) आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण—पत्रों की स्वाभिप्राप्ति प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। जो प्रमाण—पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- (ii) वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह घेरा अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उक्त घेरिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- (iii) 16 × 10 सेमी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमानक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- (iv) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम, जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

  
 संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
 बिहार लोक सेवा आयोग, पटना